(40)

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी क /2017 I/निगरानी/शिवपुरी/भूरा/2017/3326

श्याम सिह यादव पुत्र स्व· श्री तेज सिह यादव
निवासी ग्रम बीलारा तहसील शिवपुरी म.प्र. ।
.....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
.....उत्तरवादी

निगरानी अतर्गत म.प्र. भू–राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के तहत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के अपील प्रकरण क 105/16–17 मे पारित आदेश 16.08.2017 के विरूद्ध ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

1. यहकि, प्रकरण कें सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार में एक आवेदन धारा 115,116 म.प्र. भूराजस्व संहिता के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्रम बीलारा पटवारी हल्का नं34 , राजस्व निरीक्षक मण्डल –2 शिवपुरी में स्थित पुराने सर्वे नं 620,621,622 कुल रकवा 3 वीघा 1 विस्वा की कृषि भूमि का पटटा पिता स्व. जीवन लाल यादव के नाम हुआ था तथा उक्त भूमि

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3326 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री डी.के. पालीवाल उपस्थित। उभयपक्षों को कायमी के बिन्दु पर सुना गया। उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया, प्रकरण का एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा पट्टे की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति न तो विचारण न्यायालय में ना ही उनके न्यायालय में पेश की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा 22 वर्ष तक यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि दिनांक 31.10.1992 का अमल राजस्व अभिलेख में हुआ है या नहीं। 22 वर्ष बाद आवेदन पेश किया जाना अवधि बाह्य होना मानने में उनके द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश तथ्यों के संबंध में समवर्ती हैं, उनमें प्रथम दृष्टया ऐसी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	